भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 117
29 जनवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन

†117. **डॉ. बायरेड्डी शबरीः**
श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 'प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना' (पीएमएफएमई) योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से प्राप्त आवेदनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है, साथ ही स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या और प्रकार के आधार पर वर्गीकृत अस्वीकृति के कारण क्या हैं;

(ख) सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी), साझा प्रसंस्करण इकाइयों या ऊष्मायन केंद्रों (इंक्यूबेशन सेंटर) के प्रस्ताव और उनके मूल्यांकन एवं अनुमोदन की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत 'राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के तहत अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का केंद्र और राज्य के हिस्से सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का व्यक्तिगत लाभार्थियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और नियामक मंजूरी जैसी तकनीकी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए समर्पित केंद्र या जिला-स्तरीय सहायता तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध हैं कि उन लाभार्थियों को पर्याप्त तकनीकी सहायता प्राप्त हो?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यक्तिगत लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की जानकारी **अनुबंध I (क), (ख) और (ग)** में दी गई है।

आवेदन जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा अनुशंसित किए जाते हैं और बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी जारी की जाती है। बैंक अपनी नीति के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देते/अस्वीकृत करते हैं, तथापि मंत्रालय नियमित रूप से ऋण देने वाले बैंकों और राज्य सरकार के साथ बैठकें आयोजित करता है। इसके अलावा, मुद्दे वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में उठाए जाते हैं।

(ख): राज्यों के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी), जिसमें सामान्य अवसंरचना के प्रस्ताव शामिल हैं, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी अधिकतम 3 करोड़ रुपये के साथ प्रदान की जाती है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, 108 सामान्य अवसंरचना/सामान्य सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की सहायता के लिए 76 प्रस्तावों को 208.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ अनुमोदित किया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीआईपी का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण, जिसमें सामान्य अवसंरचना के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ग): इस योजना के अंतर्गत, पिछले पाँच वर्षों में योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के 4111.61 करोड़ रुपये और संगत राज्य हिस्से को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी/आवंटित किया गया है। राज्य-वार और वर्ष-वार केंद्रीय और राज्य हिस्सेदारी का विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): योजना के अंतर्गत, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) गठित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, इकाइयों के उन्नयन, आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने, स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने आदि में सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) को लगाया जाता है।

अनुबंध I (क)

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए ″पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन″ के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत ऋण

	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
		प्राप्त आवेदन	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	14	6	0	21	4	6	13	8	2	2	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	1744	284	376	4571	2825	890	3947	2228	880	2579	1665	570
3	अरुणाचल प्रदेश	0	38	1	0	155	20	70	143	23	39	194	45	70
4	असम	0	531	39	28	7220	659	2426	5063	633	3578	7072	1751	4771
5	बिहार	0	380	8	60	13234	2864	4108	29162	10174	11163	26496	10031	20214
6	चंडीगढ़	0	5	5	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0
7	छत्तीसगढ	0	197	24	25	735	211	454	961	348	375	1052	396	521
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	1	5	2	2	7	5	3	6	4	0
9	दिल्ली	0	153	21	50	303	81	177	407	103	149	270	74	144
10	गोवा	0	9	2	1	58	41	11	42	23	4	55	35	12
11	गुजरात	0	154	2	2	232	102	53	710	285	63	575	307	187
12	हरियाणा	0	477	74	160	836	329	407	1358	605	358	787	349	280
13	हिमाचल प्रदेश	0	333	156	76	928	603	263	830	550	227	667	496	139
14	जम्मू और कश्मीर	0	207	35	70	435	171	172	916	480	320	1056	680	191
15	झारखंड	0	5	0	0	1202	198	387	5405	1523	2993	4883	1847	3171
16	कर्नाटक	0	731	259	258	3070	1813	705	3884	1992	900	4185	2316	1733
17	केरल	0	225	58	34	1163	805	109	2906	2549	230	3662	3091	177
18	लद्दाख	0	35	6	5	45	25	26	55	33	10	41	17	16
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	1467	237	573	4930	1422	2733	7196	2680	2891	12911	5058	6620
21	महाराष्ट्र	0	2915	521	537	16998	6052	6262	20335	9381	7656	16137	7278	7502
22	मणिपुर	0	1609	180	459	362	67	386	91	13	85	143	30	151

23	मेघालय	0	38	5	4	50	26	16	282	44	46	219	109	211
24	मिजोरम	0	2	0	0	22	7	8	37	13	4	36	19	18
25	नागालैंड	0	181	0	0	158	25	121	503	155	106	352	180	209
26	ओडिशा	0	590	134	334	1587	534	870	2817	593	720	1999	650	1590
27	पुदुचेरी	0	56	1	1	156	57	102	114	53	66	108	51	29
28	पंजाब	0	329	133	43	1179	833	210	1632	1179	215	754	515	165
29	राजस्थान	0	503	97	299	414	190	213	598	240	137	1145	497	395
30	सिक्किम	0	28	2	1	58	28	45	51	18	11	19	8	3
31	तमिलनाडु	0	828	186	124	7738	3810	1948	13945	7635	3375	5926	3563	2777
32	तेलंगाना	0	894	162	408	9383	2066	2705	7327	3493	4474	2986	1134	1891
33	त्रिपुरा	0	62	7	15	127	43	53	232	63	87	259	73	143
34	उत्तर प्रदेश	0	1740	185	420	5306	2301	2266	13350	6665	3802	16159	7394	6804
35	उत्तराखंड	0	120	17	13	727	222	282	1004	415	457	514	217	276
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	175	21	20	890	146	293
कुल योग		0	**16,600**	**2847**	**4377**	**83409**	**28436**	**28486**	**125504**	**54223**	**45446**	**114141**	**50026**	**61273**

अनुबंध I (ख)

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए ″पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत ऋण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
		प्राप्त आवेदन	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	20	0	1	1	0	0	15	4	1	3	1	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0
5	बिहार	0	2	0	0	16	0	0	52	10	2	49	5	7
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	2	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	4
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	0	0	0	2	0	0	34	0	0	19	3	2
12	हरियाणा	0	2	0	0	2	0	0	12	1	0	4	1	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	10	2	0
15	झारखंड	0	0	0	0	2	0	0	28	2	0	12	2	3
16	कर्नाटक	0	2	0	0	12	6	0	24	5	1	15	3	4
17	केरल	0	0	0	0	4	0	0	13	7	0	14	4	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	10	0	0	11	1	1	35	5	0	71	8	9
21	महाराष्ट्र	0	33	0	0	43	3	1	128	21	1	100	27	9
22	मणिपुर	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	4	1	0	27	2	2	4	0	2	0	0	4
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	2	0	0	4	1	0	16	1	0	6	0	0
29	राजस्थान	0	0	0	0	4	0	0	36	1	2	76	13	14
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	25	1	1	30	3	3	28	4	3	10	2	1
32	तेलंगाना	0	4	0	0	3	1	0	2	0	0	4	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	4	0	0	15	2	0	82	6	3	125	17	9
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	26	4	2
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	17	1	0
कुल योग		**0**	**112**	**2**	**2**	**178**	**19**	**7**	**589**	**68**	**18**	**573**	**99**	**70**

अनुबंध I (ग)

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक स्वंय सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत ऋण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
		प्राप्त आवेदन	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	8	0	0	8	1	0	0	5	0	15	2	0
4	असम	0	4	0	0	30	0	0	30	0	0	4	0	1
5	बिहार	0	2	0	0	60	56	0	290	174	8	250	226	21
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	8	0	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	6	0	0	64	0	0	9	0	0	4	1	1
12	हरियाणा	0	2	0	0	2	0	1	2	0	0	4	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	0	0	0	0	2	0	0	16	2	2	5	1	4
16	कर्नाटक	0	5	0	0	7	3	0	30	11	1	18	4	3
17	केरल	0	2	0	0	15	2	0	21	15	0	21	15	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	25	0	1	46	1	6	27	2	9	53	17	7
21	महाराष्ट्र	0	91	0	0	280	58	4	615	116	39	578	201	125

22	मणिपुर	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	756	14	3	211	84	240	91	33	95	88	78	50
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	10	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	राजस्थान	0	21	1	0	2	2	1	0	0	0	2	0	1
30	सिक्किम	0	1	0	0	8	3	2	11	1	2	0	0	1
31	तमिलनाडु	0	8	0	0	14	0	0	13	11	1	12	0	1
32	तेलंगाना	0	0	0	0	2	0	0	3	1	0	2	0	1
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	20	0	0	4	0	0	23	1	1	2	0	0
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	1	0
कुल योग		**0**	**977**	**15**	**4**	**768**	**213**	**254**	**1188**	**375**	**159**	**1085**	**551**	**216**

अनुबंध II

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी)

		पिछले 5 वित्तीय वर्षों में अनुमोदित पीआईपी (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.65	0.00	1.86	1.88	1.88
2	आंध्र प्रदेश	0.00	162.00	220.57	217.48	205.42
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	12.86	11.70	25.42	11.47
4	असम	0.00	159.48	202.28	213.12	195.38
5	बिहार	0.00	128.10	154.61	146.75	146.75
6	चंडीगढ़	0.00	0.97	3.16	3.14	0.00
7	छत्तीसगढ	7.12	68.85	50.01	47.50	47.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	3.24	0.00	3.83	3.83
9	दिल्ली	0.00	9.47	14.67	13.53	13.95
10	गोवा	0.00	8.91	10.71	8.08	5.98
11	गुजरात	0.00	95.37	105.46	108.62	111.95
12	हरियाणा	0.00	43.49	67.68	68.08	67.83
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	23.17	29.75	27.74	24.84
14	जम्मू और कश्मीर	0.00	17.11	25.96	25.28	24.28
15	झारखंड	0.00	0.00	89.07	85.97	85.64
16	कर्नाटक	27.36	142.52	180.83	299.77	295.63
17	केरल	16.92	54.68	63.81	63.46	63.46
18	लद्दाख	0.00	14.99	9.79	7.40	4.74
19	लक्षद्वीप	1.74	1.46	3.76	4.36	4.65
20	मध्य प्रदेश	23.22	158.11	183.03	160.04	205.38
21	महाराष्ट्र	0.00	212.66	386.89	419.08	426.74
22	मणिपुर	0.00	17.11	26.95	26.95	26.95
23	मेघालय	0.00	24.31	24.95	21.73	19.92
24	मिजोरम	0.00	8.12	3.29	11.98	11.88
25	नागालैंड	0.00	31.23	27.81	28.26	27.97
26	ओडिशा	29.68	107.73	84.18	109.16	78.26
27	पुदुचेरी	1.06	7.78	7.02	8.36	6.92
28	पंजाब	13.27	81.44	98.33	87.54	86.75
29	राजस्थान	31.68	121.62	114.78	105.76	96.72
30	सिक्किम	0.00	8.20	8.01	7.86	5.11
31	तमिलनाडु	0.00	125.10	168.48	160.24	15.84
32	तेलंगाना	21.98	88.63	98.38	94.43	93.83
33	त्रिपुरा	6.33	29.70	3.72	37.18	3.72
34	उत्तर प्रदेश	47.31	371.23	528.33	494.02	492.52
35	उत्तराखंड	0.00	29.29	43.22	33.74	31.82
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	40.72	41.08
	कुल	229.33	2368.94	3053.05	3218.47	2986.08

अनुबंध III

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष -वार जारी केंद्र और राज्य का हिस्सा

		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.82	0.00	1.92	0.00	0.34	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	34.98	0.00	25.12	0.00	18.57	18.50	46.25	19.09	10.91	14.97
3	अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.00	7.34	0.00	0.03	0.78	11.09	0.81	8.00	1.22
4	असम	16.71	0.00	15.96	1.37	18.12	0.87	43.88	5.86	68.50	6.69
5	बिहार	9.05	0.00	13.59	0.00	1.61	15.09	88.65	59.10	101.50	65.33
6	चंडीगढ़	0.40	0.00	1.06	0.00	0.44	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	7.04	0.00	8.88	3.92	1.44	2.69	7.69	4.19	10.00	6.67
8	डी एंड एन हवेली और डी एन डी	0.40	0.00	0.89	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.50	0.00	0.32	0.00	1.15	0.21	0.50	0.16	4.25	3.16
10	गोवा	0.41	0.00	3.14	0.74	1.81	1.31	2.08	1.42	2.50	1.67
11	गुजरात	16.55	0.00	8.53	2.54	1.98	0.00	7.02	4.68	15.00	10.00
12	हरियाणा	3.23	0.00	3.98	0.00	5.46	5.77	11.25	7.39	25.00	16.67
13	हिमाचल प्रदेश	5.19	0.00	7.64	0.51	13.75	0.30	57.12	7.33	4.00	0.33
14	जम्मू और कश्मीर	8.19	0.00	1.50	0.00	2.16	0.38	2.68	0.30	25.75	0.92
15	झारखंड	2.69	0.00	1.74	1.43	0.00	0.27	9.79	7.34	20.00	12.11
16	कर्नाटक	32.47	0.00	21.48	13.81	31.07	22.79	27.76	17.64	60.00	34.01
17	केरल	10.13	0.00	3.46	4.55	3.99	4.98	29.52	13.01	40.00	26.67
18	लद्दाख	0.45	0.00	0.93	0.00	2.32	0.00	0.36	0.00	3.00	0.00

19	लक्षद्वीप	0.40	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.62	0.00	9.93	19.32	9.98	0.00	44.97	22.13	78.04	44.35
21	महाराष्ट्र	27.58	0.00	26.60	17.95	76.87	56.10	120.00	64.95	195.20	110.57
22	मणिपुर	3.14	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
23	मेघालय	2.69	0.00	3.04	0.18	0.39	0.29	1.00	0.20	7.25	0.71
24	मिजोरम	7.73	0.00	2.94	0.00	0.00	0.16	0.00	0.54	0.00	0.17
25	नागालैंड	6.64	0.00	5.90	1.09	0.41	0.00	3.97	0.22	3.75	0.55
26	ओडिशा	30.37	0.00	29.93	23.37	2.97	0.00	15.46	14.64	21.86	12.00
27	पुदुचेरी	1.16	0.00	0.79	0.62	0.68	1.07	2.46	1.64	3.00	1.87
28	पंजाब	5.76	0.00	9.36	5.90	16.31	23.50	30.65	6.41	87.80	33.30
29	राजस्थान	14.51	0.00	13.44	5.85	4.79	3.98	16.98	11.52	8.50	3.64
30	सिक्किम	5.12	0.00	1.51	0.31	1.75	0.26	0.91	0.10	7.50	0.56
31	तमिलनाडु	12.95	0.00	3.23	0.15	24.02	21.80	72.00	46.62	100.00	58.32
32	तेलंगाना	33.16	0.00	16.88	0.00	2.31	13.30	15.40	10.27	60.00	23.88
33	त्रिपुरा	3.11	0.00	10.35	0.73	0.15	0.34	1.13	0.27	3.75	0.42
34	उत्तर प्रदेश	36.29	0.00	24.08	19.64	21.06	9.07	79.55	48.08	150.00	66.67
35	उत्तराखंड	6.03	0.00	2.26	0.44	2.45	0.00	8.24	0.92	15.00	1.50
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	3.90	2.50	1.67
	कुल	**367.61**	**0.00**	**297.44**	**124.43**	**268.52**	**203.80**	**765.30**	**380.73**	**1142.56**	**561.22**